

## कार्यालय अध्यक्ष, राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएं, फीस निर्धारण समिति, राजीव गांधी विद्या भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल, जयपुर

### विज्ञाप्ति

गजस्थान के निजी शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि:-

- फीस निर्धारण समिति द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त गैर सकारी शिक्षण संस्थाओं की फीस निर्धारण के लिए सूचना सम्मेलन हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
- जिन विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो सभी विद्यालय ऑनलाइन सूचना प्रेषित करेंगे तथा जिन विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा दिया है वो फॉले रजिस्ट्रेशन कराएंगे तात्पश्चात ऑनलाइन सूचना निर्धारित अवधि में प्रेषित करेंगे।
- विद्यालय [www.rte.raj.nic.in/www.rajshiksha.gov.in](http://www.rte.raj.nic.in/www.rajshiksha.gov.in) पर दिनांक 15 अगस्त, 2014 से 10 सितम्बर, 2014 तक अपनी सूचना ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।
- विद्यालय ऑनलाइन सूचना प्रेषित की आपनी हाई कॉर्पी मय वांछित दस्तावेजों के एक पत्रावली बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय में 10 सितम्बर, 2014 तक प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य के लिए ए.पी.सी., आर.टी.ई. को प्रभारी नियुक्त किया गया है।
- विद्यालय पत्रावली को मुख्य पृष्ठ पर विद्यालय का नाम मय पत्र, डाइस कोड, ई-मेल आई.डी. कॉर्ट्रेक्ट नाम तथा अधिकृत व्यक्ति का नाम मय मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित करेंगे।
- जिन विद्यालयों को गजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके हैं उन्हें आपत्ति हेतु 30 दिवस का समय दिया गया है, ऐसे विद्यालय आपत्ति प्रस्तुत करने से पूर्व ऑनलाइन सूचनाएं प्रेषित करेंगे तथा हाई कॉर्पी के साथ आपत्ति का पत्र भी सलान कर पत्रावली के साथ जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को प्रस्तुत करेंगे।
- जिन विद्यालयों ने पूर्व में अधूरी सूचना के साथ पत्रावली प्रस्तुत कर दी है वो वांछित दस्तावेज़/सूचना निर्धारित प्रपत्रों में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा समस्त पत्रावलीयों को संकरित कर ए.पी.सी., आर.टी.ई. से सभी पत्रावलीयों की जाच करवाकर 15 सितम्बर, 2014 तक आवश्यक रूप से फीस निर्धारण समिति कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- निर्धारित अवधि में सूचना प्रेषित नहीं करने वाले विद्यालयों के लिए द्वितीय कार्यवाही की जाएगी।

(एम.पी. वर्मा) संयुक्त शासक सचिव (प्रा.शि.) एवं सदरम्य सचिव

टीआईपीआर/सी/6144/2014

निजी शिक्षण संस्थाएं, फीस निर्धारण समिति शिक्षा संकुल, जयपुर